विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 343

दुर्ग, दिनांक - 28/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 33
दिनांक: 20/04/2026

M/s Tethys Chem Private Limited
पता रू प्लॉट नं. 17–N, H-I-A., हथखोज, भिलाई
बी.पी. क्रमांक : 1000442115
मोबाइल : 6265888929, 9826599404

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता, नगर संभाग पूर्व,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भिलाई।
2. सहायक अभियंता, छावनी जोन,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भिलाई।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 28 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक मेसर्स टेथिस केम प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 17–N, हेवी इंडस्ट्रियल एरिया, हथखोज, भिलाई द्वारा अपने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क्रमांक बी.पी. 1000442115 में अत्यधिक विद्युत खपत दर्शाकर विद्युत देयक जारी किए जाने की शिकायत इस फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का कथन है कि विगत कुछ माह से प्राप्त विद्युत बिल उसकी सामान्य विद्युत खपत की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं तथा वास्तविक विद्युत खपत की तुलना में अधिक बिलिंग की गई है। आवेदक के अनुसार अनावेदकगण के कार्यालय में शिकायत किए जाने के बावजूद बिलों में आवश्यक सुधार नहीं किया गया।

Received
14/10/26

आवेदक द्वारा लगभग ₹3,00,211/– की अतिरिक्त राशि वसूल किए जाने का दावा करते हुए उक्त राशि की ब्याज सहित वापसी तथा गलत बिलिंग के कारण हुई आर्थिक क्षति, असुविधा एवं परेशानी के लिए मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्न तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन औद्योगिक प्रयोजन हेतु स्थापित है तथा प्रारंभिक अनुबंधित/स्वीकृत भार 100 HP (लगभग 75 KW) है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन दिनांक 20.07.2004 से स्थापित है।

3. अधिक बिल आने की शिकायत के पश्चात पुराने मीटर को परीक्षण हेतु निकालकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

4. पुराने मीटर का केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 में उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षण किया गया।

5. परीक्षण रिपोर्ट में पुराने मीटर को सही पाया गया।

3. आवेदक की शिकायत एवं मांग

आवेदक का मुख्य कथन है कि उसे पिछले कुछ माह से ऐसे विद्युत बिल प्राप्त हो रहे हैं जिनमें उसकी सामान्य खपत की तुलना में अत्यधिक विद्युत खपत दर्शाई गई है।

आवेदक के अनुसार उसके औद्योगिक उत्पादन एवं पिछले दो वर्षों की खपत प्रवृत्ति की तुलना में वर्तमान बिलों में दर्शाई गई खपत असामान्य एवं अत्यधिक है।

आवेदक द्वारा अनावेदकगण के कार्यालय में बार–बार शिकायत किए जाने के बावजूद बिलों में आवश्यक सुधार नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

आवेदक के अनुसार उससे ₹3,00,211/– अतिरिक्त राशि वसूल की गई है।

अतः आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष निम्न मांगें प्रस्तुत की गई हैं :–

1. असामान्य एवं अत्यधिक बिलिंग की तत्काल एवं विस्तृत जांच कराई जाए।

2. वास्तविक रूप से दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विवादित विद्युत बिलों का पुनरीक्षण किया जाए।

3. अतिरिक्त वसूल की गई ₹3,00,211/– की राशि ब्याज सहित वापस की जाए।

4. गलत बिलिंग एवं शिकायतों का उचित निराकरण नहीं किए जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति, असुविधा एवं परेशानी के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों के अनुसार मुख्यतः निम्न तथ्य बताए गए हैं :–

1. आवेदक के कनेक्शन क्रमांक बी.पी. 1000442115, भार 100 HP, औद्योगिक पावर कनेक्शन में माह अक्टूबर 2025 में अधिक बिल आने की शिकायत प्राप्त होने पर मीटर की जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2. दिनांक 17.12.2025 को मीटर क्रमांक CSP04045, क्षमता 40–200A, MF–01 को परीक्षण हेतु निकाला गया तथा उसके स्थान पर नया स्मार्ट मीटर क्रमांक G4697518, क्षमता 3×5A, CT 200/5A, MF–40 स्थापित किया गया।

3. दिनांक 29.12.2025 को पुराने मीटर क्रमांक CSP04045 का केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 में उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षण किया गया।

4. केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 से दिनांक 14.01.2026 को प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में उक्त मीटर को दोषपूर्ण पाया गया तथा रिपोर्ट उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई।

5. अक्टूबर 2025 के विद्युत देयक की जांच करने पर मीटर में दर्ज खपत 38,929 यूनिट, अधिकतम मांग (MD) 87.8 KW तथा Power Factor 0.82 पाया गया। अधिकतम मांग अनुबंधित भार 100 HP अर्थात लगभग 75 KW से अधिक होने के कारण संबंधित बिल जारी किया गया।

6. स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात जनवरी 2026 में खपत 35,349 यूनिट, MD 61.4 KW, PF 0.97; फरवरी 2026 में खपत 30,162 यूनिट, MD 87.12 KW, PF 0.83 तथा मार्च 2026 में खपत 33,081 यूनिट, MD 86.64 KW, PF 0.77 दर्ज हुई।

7. अनावेदकगण के अनुसार मीटर परिवर्तन के पूर्व एवं मीटर परिवर्तन के पश्चात दर्ज खपत में पर्याप्त समानता है। अतः अधिक खपत का कारण मीटर की खराबी नहीं है।

अनावेदकगण द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं :–

1. दिनांक 17.12.2025 को मीटर परिवर्तन संबंधी विवरण प्रपत्र।

2. केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 की मीटर परीक्षण रिपोर्ट।

3. रीडिंग डायरी एवं स्मार्ट मीटर क्रमांक G4697518 की माहवार खपत, MD एवं PF संबंधी विवरण।

4. संबंधित बिलिंग विवरण।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :–

"क्या आवेदक को जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक जारी विद्युत देयक वास्तविक विद्युत खपत एवं मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुरूप थे अथवा उनमें कोई बिलिंग त्रुटि/विसंगति थी?"

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन, अनावेदकगण का जवाब, मीटर परिवर्तन संबंधी अभिलेख, केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट, शीडिंग डायरी, स्मार्ट मीटर की माहवार रीडिंग, अधिकतम मांग (MD), Power Factor एवं बिलिंग अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया गया।

अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

(i) पुराने मीटर की शिकायत एवं परीक्षण

आवेदक द्वारा अक्टूबर 2025 में अधिक विद्युत बिल आने के संबंध में मीटर की जांच हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 17.12.2025 को पुराने मीटर क्रमांक CSP04045 को निकालकर नया स्मार्ट मीटर क्रमांक G4697518 स्थापित किया गया।

पुराने मीटर का दिनांक 29.12.2025 को केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई–3 में उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षण किया गया। दिनांक 14.01.2026 की परीक्षण रिपोर्ट में मीटर सही पाया गया।

अतः उपलब्ध परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुराने मीटर के गलत अथवा अत्यधिक खपत दर्ज करने की पुष्टि नहीं होती। उपभोक्ता भी इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है।

(ii) मीटर परिवर्तन के पूर्व एवं पश्चात खपत

अक्टूबर 2025 में पुराने मीटर में 38,929 यूनिट खपत दर्ज हुई थी।

नए स्मार्ट मीटर की स्थापना के पश्चात जनवरी 2026 में 35,349 यूनिट, फरवरी 2026 में 30,162 यूनिट तथा मार्च 2026 में 33,081 यूनिट खपत दर्ज हुई।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात खपत में ऐसी असामान्य वृद्धि नहीं पाई गई जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पुराने मीटर अथवा नए स्मार्ट मीटर के कारण से अत्यधिक खपत दर्ज हुई।

बल्कि मीटर परिवर्तन के पूर्व एवं पश्चात की मासिक खपत एक समान प्रवृत्ति में पाई गई है।

(iii) अधिकतम मांग एवं अनुबंधित भार

आवेदक का अनुबंधित/स्वीकृत भार 100 HP अर्थात लगभग 75 KW है।

अक्टूबर 2025 में अधिकतम मांग 87.8 KW दर्ज हुई, जो अनुबंधित भार से अधिक है।

नए स्मार्ट मीटर की स्थापना के पश्चात फरवरी 2026 में अधिकतम मांग 87.12 KW तथा मार्च 2026 में 86. 64 ज़ॅ दर्ज हुई।

इस प्रकार मीटर परिवर्तन के पश्चात भी अधिकतम मांग अनुबंधित भार से अधिक रही।

इसके अतिरिक्त दिनांक 06.05.2026 को किए गए स्थल निरीक्षण में परिसर में स्थापित भार लगभग 162 HP पाया गया, जो अनुबंधित भार 100 HP से काफी अधिक है।

यह तथ्य भी विद्युत खपत एवं अधिकतम मांग के संबंध में महत्वपूर्ण है।

(iv) Power Factor

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2026 में Power Factor क्रमशः 0.97, 0.83 एवं 0.77 रहा।

विशेषकर मार्च 2026 में Power Factor 0.77 पाया गया। अतः विद्युत उपयोग की प्रकृति एवं भार की स्थिति को देखते हुए केवल उत्पादन के आधार पर विद्युत खपत को गलत अथवा असामान्य मानना उचित नहीं है।

(v) Multiplying Factor

पुराने मीटर क्रमांक CSP04045 के संबंध में उपलब्ध अभिलेख में MF–01 तथा नए स्मार्ट मीटर क्रमांक G4697518 के संबंध में MF–40 दर्ज है।

फोरम द्वारा इस तथ्य का विशेष रूप से परीक्षण किया गया है। पुराने मीटर की क्षमता 40–200A थी, जबकि नए स्मार्ट मीटर के साथ CT 200/5। स्थापित किया गया है। अतः दोनों मीटरिंग व्यवस्थाओं में प्रयुक्त MF अलग होना अपने–आप में बिलिंग त्रुटि का प्रमाण नहीं है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में नए CT–operated smart metering arrangement के अनुसार MF–40 लागू होना दर्शाया गया है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई तकनीकी परीक्षण अथवा गणनात्मक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि नए मीटर पर MF–40 का प्रयोग गलत था।

अतः केवल MF के 1 से 40 होने के आधार पर बिलिंग में त्रुटि स्थापित नहीं होती।

(vi) उत्पादन की तुलना में अधिक खपत का तर्क

आवेदक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके औद्योगिक संयंत्र के उत्पादन की तुलना में विद्युत खपत अत्यधिक दर्शाई गई है।

फोरम का मत है कि उत्पादन एवं विद्युत खपत के बीच संबंध का आकलन करने के लिए केवल उत्पादन की मात्रा पर्याप्त आधार नहीं है। इसके लिए संयंत्र में स्थापित मशीनरी, मशीनों के संचालन की अवधि, वास्तविक विद्युत भार, उत्पादन प्रक्रिया तथा अन्य तकनीकी अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक होता है।

वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा ऐसा पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मीटर में दर्ज खपत को गलत अथवा अविश्वसनीय सिद्ध किया जा सके।

अतः आवेदक का उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता।

(vii) ₹3,00,211/– की वापसी का दावा

आवेदक द्वारा ₹3,00,211/– की अतिरिक्त राशि की वापसी की मांग की गई है।

किन्तु फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त राशि गलत मीटर रीडिंग, गलत Multiplying Factor, मीटर की खराबी अथवा किसी अन्य बिलिंग गणना त्रुटि के कारण अतिरिक्त रूप से वसूल की गई।

पुराने मीटर की परीक्षण रिपोर्ट में मीटर सही पाया गया है तथा नए स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत भी पुराने मीटर की खपत प्रवृत्ति के अनुरूप पाई गई है।

अतः आवेदक द्वारा दावा की गई राशि की वापसी का आधार स्थापित नहीं होता है।

7. फोरम का निष्कर्ष

उपरोक्त समस्त तथ्यों, दस्तावेजों एवं तकनीकी अभिलेखों के समग्र परीक्षण के पश्चात फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :–

1. पुराने मीटर क्रमांक CSP04045 का केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया तथा वह सही पाया गया।

2. मीटर परिवर्तन के पश्चात नए स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत पुराने मीटर में दर्ज खपत की प्रवृत्ति के अनुरूप पाई गई।

3. अधिकतम मांग कई अवसरों पर आवेदक के अनुबंधित भार 100 HP/लगभग 75 KW से अधिक रही।

4. दिनांक 06.05.2026 के स्थल निरीक्षण में परिसर में स्थापित भार लगभग 162 HP पाया गया, जो अनुबंधित भार से काफी अधिक है।

5. Power Factor भी विभिन्न अवधियों में कम पाया गया, विशेषकर मार्च 2026 में 0.77 रहा।

6. पुराने एवं नए मीटरों की metering arrangement अलग होने के कारण MF–01 एवं MF–40 का होना अपने–आप में बिलिंग त्रुटि सिद्ध नहीं करता।

7. अतः जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक जारी विद्युत बिलों में ऐसी कोई त्रुटि प्रमाणित नहीं हुई है जिसके आधार पर बिलों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो।

8. परिणामतः ₹3,00,211/– की अतिरिक्त राशि की वापसी, उस पर ब्याज तथा मुआवजे की मांग स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

8. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है :–

1. आवेदक मेसर्स Tethys Chem Private Limited द्वारा प्रस्तुत अत्यधिक एवं गलत बिलिंग संबंधी शिकायत प्रमाणित नहीं पाई जाती है।

2. पुराने मीटर क्रमांक CSP04045 का केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया तथा मीटर सही पाया गया। अतः मीटर की खराबी के आधार पर विवादित बिलों में संशोधन किए जाने का कोई आधार नहीं है।

3. नए स्मार्ट मीटर क्रमांक G4697518 में दर्ज खपत एवं अधिकतम मांग के अभिलेखों से बिलिंग में कोई ऐसी त्रुटि प्रमाणित नहीं हुई है जिसके कारण बिलों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो।

4. आवेदक द्वारा दावा की गई ₹3,00,211/– की अतिरिक्त राशि की वापसी की मांग अस्वीकार की जाती है।

5. उक्त राशि पर ब्याज तथा गलत बिलिंग/असुविधा के लिए मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग भी अस्वीकार की जाती है।

6. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

7. आदेश पारित।

8. प्रकरण निराकृत किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग